FORM NO. 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) आसीन्द , जिला भीलवाडा

नन्दलाल......**बनाम**..........राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा----88 RTA 136 LRA प्र.सं. PGKS /२५१२/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19. 07. 2022	प्रशासन गांवो के संग अभियान -2021 केम्प बराणा में प्रार्थी नन्दलाल पुत्र धन्ना नाई नि.साबदड़ा हाल मुकाम बरसणी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि राजस्व रेकार्ड ग्राम साबदड़ा की जमाबन्दी संवत 2074-2077 की खाता संख्या 149 व 150 में प्रार्थी का नाम मोती पि.धन्ना नाई दर्ज रेकार्ड है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम नन्दलाल पि.धन्ना नाई है। अतः राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम दुरूस्त करने का आदेश प्रदान करावें।	

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को केम्प रजिस्टर में दर्ज कर मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का नेगड़िया / बरसणी ली गयी जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली है –

क्र.सं.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का विवरण
1	ग्राम पंचायत बरसणी द्वारा जारी प्रमाण पत्र	क्रमांक / S.P.1 दिनांक 01.12.2021
2	आधार कार्ड	694725338195
3	पेन कार्ड	IOPPS8202P
4	फोटो पहचान पत्र	RJ/20/158/288217
5	राशन कार्ड	009464400410
6	जमाबन्दी प्रतिलिपी	ग्राम बरसणी खाता संख्या 1212
7	फोटोयुक्त प्रमाण पत्र	पटवारी हल्का बरसणी
8	फोटोयुक्त प्रमाण पत्र	ग्राम पंचायत बरसणी
9	शपथ –पत्र	रोशन पि.कल्याण सेन नि.साबदड़ा
10	शपथ –पत्र	अम्बालाल पुत्र कल्याण सेन नि.साबदड़ा
11	शपथ –पत्र	छोगा पुत्र गजानन्द सेन नि.साबदड़ा

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजात / पटवारी हल्का बरसणी व नेगड़िया की मौका रिपोर्ट / राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों का अवलोकन [illegible]

I. श्री नन्दलाल पि.धन्ना नाई [illegible] हाल मुकाम बरसणी की [illegible] संख्या 149 व 150 स्थित [illegible] है।

II. राजस्व ग्राम साबदड़ा की उक्त कृषि [illegible] में प्रार्थी का नाम नन्दलाल पि.धन्ना नाई दर्ज नहीं होकर मोती पि.धन्ना नाई दर्ज रेकार्ड है जो प्रार्थी का बोलता नाम है।

III. प्रार्थी के नाम राजस्व ग्राम बरसणी की सरहद में कृषि भूमि स्थित है जो कि उनके वास्तविक नाम नन्दलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.10.07 14:25:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

पि.धन्ना नाई के नाम दर्ज रेकार्ड है।

IV. प्रार्थी के नाम जारी राजकीय दस्तावेज यथा राशन कार्ड / आधार कार्ड / पेनकार्ड / फोटो पहचान पत्र आदि मे प्रार्थी का वास्तविक नाम नन्दलाल पि.धन्ना नाई दर्ज है।

उक्त विवेचन के अनुसार राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम मोती पि.धन्ना नाई के बजाय नन्दलाल पि.धन्ना नाई संशोधित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकार्ड में निम्नानुसार संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है –

ग्राम साबदड़ा जमाबन्दी संवत 2074-2077

जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2019 से स्थायी)

खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
149	मोती पुत्र धन्ना हिस्सा 1/6 जाति नाई सा.देह खातेदार शेष इन्द्राज यथावत	नन्दलाल पुत्र धन्ना हिस्सा 1/6 जाति नाई सा.देह हाल मु.बरसणी शेष इन्द्राज यथावत
150	मोती पुत्र धन्ना हिस्सा 1/12 जाति नाई सा.देह खातेदार शेष इन्द्राज यथावत	नन्दलाल पुत्र धन्ना हिस्सा 1/12 जाति नाई सा.देह हाल मु.बरसणी शेष इन्द्राज यथावत

तदनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावें। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 19.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.10.07 14:25:05 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या P.G.K.S /2021 / २५१२
उनवान

(1) नन्दलाल पुत्र धन्ना नाई नि.साबदड़ा हाल मु.बरसणी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा — वादी

बनाम

(1) तहसीलदार आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा — प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 वादी की ओर से अधिवक्ता वादी स्वंय तथा प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद-पत्र के आज तारीख 19.07.2022 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि –

दावा वादी डिक्री किया जाकर निम्नांकित कृषि भूमि मे वादी का नाम संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है –

ग्राम साबदड़ा जमाबन्दी संवत 2074-2077

जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2019 से स्थायी)

खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
149	मोती पुत्र धन्ना हिस्सा 1/6 जाति नाई सा.देह खातेदार शेष इन्द्राज यथावत	नन्दलाल पुत्र धन्ना हिस्सा 1/6 जाति नाई सा.देह हाल मु.बरसणी शेष इन्द्राज यथावत
150	मोती पुत्र धन्ना हिस्सा 1/12 जाति नाई सा.देह खातेदार शेष इन्द्राज यथावत	नन्दलाल पुत्र धन्ना हिस्सा 1/12 जाति नाई सा.देह हाल मु.बरसणी शेष इन्द्राज यथावत

तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

इस वाद के खर्चे लेखे ---××××--- रुपये की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर ---××××---प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ---××××---द्वारा ---××××---वादी को दिया जावे।

यह आज तारीख 19.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय मुद्रा से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर{S.D.O.}
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद–पत्र के लिए स्टाम्प	-		शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	-	
2 शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	-		अर्जी के लिए [illegible]	–	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	-		प्लीडर की फीस	[illegible]	
4 रूपये पर प्लीडर की फीस	–		[illegible] के लिए निर्वाह [illegible]	–	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–		आदेशिका की [illegible]	–	
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	-		कमिश्नर की फीस	–	
7. आदेशिका की तामील	–			–	
योग	-		योग	–	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.10.07 14:25:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर{S.D.O.}
आसीन्द जिला भीलवाड़ा